असंशोधित

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

2 9 JUL 2003

खण्ड - 2

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एल० ए०) 174—मोनो—1000—2-12-2002—

सभापति, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट की हुई घटनाओं के संबंध में सरकार को एक वक्तव्य देना है उसके बाद ध्यानाकर्षण का उत्तर होगा।

विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ
मार-पीट की हुई घटनाओं के संबंध में सरकार का वक्तव्य

श्री शकील अहमद खाँ, मंत्री: इधर हाल के महीनों में विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मार-पीट की घटनाएं एवं दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मार-पीट करने में कभी तो क्षेत्र के अवांछनीय तत्वों का हाथ होता है या कभी जन प्रतिनिधियों का। अधिकतर मामलों में विद्युत बोर्ड कर्मियों को केवल इसलिए आक्रोश का शिकार होना पड़ता है क्योंकि उस क्षेत्र में या तो लोड शेडिंग के कारण या शट डाउन लेकर काम किए जाने के कारण या फिर किसी ब्रेक डाउन की वजह से विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है।

केवल जन-प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं मार-पीट की घटनाएं दिनांक: 30-1-2003 को विद्युत भवन सब-स्टेशन में एवं दिनांक: 26-7-2003 को दुबारा विद्युत भवन सब-स्टेशन में की गयी। पहली घटना में विद्युत भवन शाखा में पदस्थापित कनीय अभियंता को मारा-पीटा गया एवं उनके कार्यालय के सभी सामानों को तोड़-फोड़ दिया गया। घटना के आक्रोश में विद्युत कर्मियों द्वारा भी विधायक क्लब की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गयी जो बाद में माननीय विधान सभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद बहाल की गयी।

टर्न-63/ज्योति:प्रलू
दि0: 29.7.2003



इसी तरह दिनांक-26.7.2003 को विद्युत भवन सब-स्टेशन में रात्रि के 10.30 बजे के बाद घुस कर वहाँ पदस्थापित कर्मियों के साथ गाली-गलौज की गयी एवं उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा गया। इस पर भी आक्रोश में विद्युत कर्मियों के द्वारा विद्युत भवन फीडर की विद्युत आपूर्ति दिनांक: 27.7.2003 को बंद कर दिया गया जो कुछ देर के बाद फिर से चालू किया गया। उपरोक्त घटना के साथ गंदिरी क्षेत्र में तार जोड़ने के लिए विद्युत भवन फीडर का शट डाउन लेकर उसमें काम किया जा रहा था। इसी समय उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बंद लाईन को जबर्दस्ती चालू करने के लिए [illegible] कहा जा रहा था। इसी समय उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बंद लाईन को जबर्दस्ती चालू करने के लिए कहा जा रहा था। जाहिर है कि यदि उनके कहने पर उस समय लाईन चालू किया जाता तो लाईन पर काम करने वाले अनेक विद्युत कर्मियों के साथ गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। जब विद्युत कर्मियों ने उपरोक्त अनुरोध को मानने में अपनी असमर्थता जतायी तो उनके साथ बुरी तरह मार-पीट की गयी।

उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त भी हाल ही में छपरा के विद्युत अधीक्षक अभियंता को एक माननीय सांसद द्वारा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में घुस कर उन्हें मारा-पीटा गया।

केवल पेसू क्षेत्र में पिछले 6-7 महीनों के अंदर इस तरह की मार-पीट की घटनाओं अनेकों बार हो चुकी हैं।

इस तरह लगातार मारपीट की घटनाओं के कारण विद्युतकर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस परिस्थिति में दिनांक 26.7.2003

को सेमजह विद्युत बोर्ड कर्मियों को मारपीट तथा हमला करने के कारण सभी विद्युत कर्मी आक्रोशित हो गये एवं दिनांक 27·7·2003 को पदाधिकारी एवं कामगार यूनियनों के नेता विद्युत बोर्ड सब-स्टेशन में आकर धरना पर बैठ गए तथा उन्होंने कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति भी बाधित की जिसे बाद में वरीय पदाधिकारियों के पहुंचने पर तथा माननीय मंत्री एवं राज्यमंत्री, ऊर्जा के द्वारा समझाने बुझाने पर चालू की गयी ।

विद्युतकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एवं कुछ संवेदनशील उप केन्द्रों में सशस्त्र बल के पदस्थापन के लिए माननीय राज्यमंत्री, ऊर्जा की [illegible] अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक को बुलाकर बैठक भी 3-4 महीने पहले की गयी थी, परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है ।

जिन यूनियनों के नेताओं द्वारा विद्युत बोर्ड सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति बाधित की गयी थी, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी है तथा उनसे इस प्रकार अनावश्यक विद्युत आपूर्ति बाधित करने के लिए तदनुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा: सभापति महोदय, इसमें एक चीज का उल्लेख नहीं हुआ जिसके बारे में आसन से निदेश हुआ था और उस समय आसन का ध्यान हमलोगों ने आकृष्ट किया था और आसन से निर्देश होने पर मंत्री जी ने सूचना ग्रहण की थी कि अभी जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है उस प्रक्रिया को रोकी जाय क्योंकि विधायक आवास में घुसकर गिरफ्तारी की बात की जा रही थी।
मंत्री जी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई की और उस पदाधिकारी को दण्डित किया जिसने विधायक आवास में घुसकर इसतरह का काम किया

सभापति(श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव):माननीय मंत्री जी विद्युत आपूर्त्ति तो बहाल कर दी गयी लेकिन अन्य जो विषय था...

श्री उपेन्द्र प्रसादवर्मा,मंत्री: वह इससे कुछ रिलेटेड है वह मैं दे रहा हूँ। महोदय,इसमें है दिनांक 26-7-2003 को रात्रि में माननीय विधायक श्री सुरेश पासी एवं उनके 10-15 समर्थकों द्वारा राम जी राम पे० महंथ राम स्कील्ड खलासी ,पावर स्टेशन, एम०एल०ए० फ्लैट के साथ मारपीट की घटना के संबंध में कोतवाली थाना काण्ड संख्या 207(2003) दिनांक 27-7-03 धारा 147,149,341,323,427,448,353,304 भा०द०वि० वादी श्री राम जी के फर्दब्यान के आधार पर माननीय विधायक श्री सुरेश पासी एवं उनके अंगरक्षक सहित 10-12 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में इस काण्ड में राम नारायण ठाकुर पे० लखन ठाकुर साकिन कंपनी सराय ,नगर विलास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी काण्ड अनुसंधान के अन्तर्गत है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश पासी:सभापति महोदय, मैं...

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा,मंत्री: एफ०आई०आर० कोई आदमी करता है उसपर सुपरवीजन होगा उसके बाद केस होना होगा

(व्यवधान)

श्री प्रमोद सिंह : विधान सभा के अध्यक्ष के परमीशन के बिना किसी भी विधायक के सरकारी क्वार्टर में घुसने का काम हुआ है।

सभापति(श्री विजेन्द्र प्र० यादव): आप बैठिये। श्री उपेन्द्र प्रसादसिंह ,माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण का जवाब माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी दें।

टर्न-63/ज्योतिः बबलू
29-7-2003



श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० एवं श्री उदय नारायण चौधरी स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण गरसरकारी वक्तव्य

सभापति (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव): सूचना पढ़ी हुई है, जवाब दीजिये ।

श्री शीतल राम, राज्य मंत्री: महोदय, कटिहार मेडिकल कॉलेज, कटिहार निजी क्षेत्र में 1987 से संचालित बताया जाता है । इस संस्थान को राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनुमति प्रदान नहीं की गई । उल्लेखनीय है कि संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा-21 की उप धारा-2 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । राज्य सरकार ने इस संस्थान को ऐसी अनुमति नहीं दी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 2590/92 एवं अवमाननावाद पेटीशन संख्या 270/90 तथा इन्टर-लोकेटरी ऐप्लिकेशन संख्या 4/92 में दिनांक 27-02-1996 को पारित आदेश के आलोक में बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय के पत्रांक जी/एस-1682-1711/96 दिनांक 02-04-96 द्वारा सत्र 1987-88 से ही प्रतिवर्ष 60 सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु सम्बद्धता प्रदान की गई । पुनः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक वी 11015/5/2001 दिनांक 3-8-2001 से प्रदत्त एम०बी०बी०एस० की डिग्री को मान्यता प्राप्त डिग्री घोषित किया गया है ।

यह संस्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अपने आपको मुस्लिम अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज बताता है तथा अलकरीम एजुकेशनल ट्रस्ट खाजपुरा बेलीरोड, पटना के द्वारा संचालित बताता है । बताया गया है कि इस संस्थान में पहले वैच का नामांकन सत्र 1987-88 में लिया गया है ।

माता गुजरी मेडिकल कॉलेज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत सिख अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में वर्ष 1990 में स्थापित बताया गया है । यह संस्थान एक निबंधित ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है तथा इस मेडिकल कॉलेज में पहले बैच का नामांकन सत्र 1990-91 में होना बताया जाता है । बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, के पत्रांक 3956-59/सी दिनांक 19-09-92 द्वारा एम०जी०एम०मेडिकल कॉलेज, किशनगंज को सिख अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है । स्वास्थ्य एवं परिवार

क्रमशः

टर्न-64/ 29.07.2003
विजय ।

श्री उपेन्द्र प्र० सिंह०स०वि०स० के ध्या० का जवाब क्रमश:

श्री शीतल राम (राज्यमंत्री) क्रमश:.. कल्याण मंत्रालय (स्वा० विभाग) भारत सरकार के पत्रांक 18018/95 (एम०ई०) दिनांक 06.1.295 द्वारा इस ... संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2194/96 एवं इंटर लोकेटरी अपलिकेशन संख्या 9 दिनांक 23.06.96 को पारित आदेश के आलोक में बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय के पत्रांक जी/एस० 3263-3292/96 दिनांक 10.04.96 द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी । लेकिन सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त राज्य xxx सरकार द्वारा इस संस्थान को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है । फलस्वरूप यह संस्थान राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है । पुन: बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय के पत्रांक आर/सी/270-72/97 दिनांक 11.08.97 द्वारा 60 सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु स्थायी संबद्धता प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त ... भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा० विभाग) भारत सरकार के पत्रांक फैक्स 91-11-3010183 दिनांक 31.7.2000 द्वारा प्रति सत्र 60 (साठ) विद्यार्थियों के नामांकन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है । साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा० विभाग) भारत सरकार के पत्रांक भी 11015/8/2001 एम०ई० (पॉलिसी) दिनांक 31.07.2001 द्वारा मई 2000 से इस मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षण पश्चात बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रदत्त एम०बी०बी०एस० की डिग्री मान्यता प्राप्त घोषित की गयी है ।

उल्लेखनीय है कि अभी तक इस संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों की परीक्षाऐं माननीय उच्च/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेश अथवा ... संबंधित विश्वविद्यालय के निदेश पर आयोजित होती रही है ।

उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र में संचालित ये दोनों संस्थान राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है । इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में एम०बी०बी० एस० स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन संस्थानों द्वारा एम०बी०बी०एस० कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया एवं सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण एवं अन्य मापदंडों का पालन कुछ हद तक किया ... जाता है । इन संस्थानों द्वारा इसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं दी जाती है ।

जहां तक बिहार कौंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन द्वारा निबंधन का प्रश्न है इस संदर्भ में कहना है कि यह परिषद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की एक राज्य शाखा के रूप में स्वायत्त संस्था है । निबंधन करने या निबंधन रद्द करने के मामले में सरकार की ...

(179)

अनुमति नहीं लेती है बल्कि ऐसे मामलों में परिषद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के ही मापदंडों/निर्देशों का अनुपालन करती है । राज्य सरकार ने इन संस्थानों को स्नातक स्तर पर एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई की अनुमति अभी तक नहीं दी है तो इस परिस्थिति में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की अनुमति देना वांछित नहीं है ।

उपर्युक्त वर्णित वस्तु स्थिति के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त ही राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 439 (1) दिनांक 7.7.2003 द्वारा ऐसे संस्थानों से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सरकारी संस्थानों के पी0जी0 कोर्स में नामांकन पर प्रतिबंध लगाया है । फिर भी निजी क्षेत्र में स्थापित ऐसे चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दन्त परिषद् की मान्यता प्राप्त है, इनके संबंध में राज्य सरकार का क्या रुख होना चाहिए, इस पर विचार करने हेतु राज्य सरकार ने एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है । इस समिति में श्री डी0के0अनिल, अपर सचिव, स्वा0 विभाग- अध्यक्ष, डा0 एम0एल0 वर्मा, प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, पटना, डा0 बी0के0 सिंह, प्राचार्य, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना डा0 एन0पी0 यादव, परीक्षा नियंत्रक एवं श्री एल0के0 सिंह, उप सचिव, स्वा0 (चि0शि0प0क0 एवं दे0चि0) विभाग सदस्य रहेंगे ।

श्री ...न्द्र प्र0 सिंह : महोदय, सरकार का जवाब तो काफी लम्बा चौड़ा है । सरकार ने ऐसा ... है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसको मान्यता विश्व... ने भी देने का काम किया है और बिहार काउंसिल ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन ... जो एम0बी0बी0एस0 ... छात्र वहाँ से पास करते हैं, उनको निबंधित भी किया जाता है । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पी0 जी0 में उनका नामांकन हो । अभी माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की कि एक कमिटी बनायी गयी है, क्या कमिटी के लिये ... विचार के लिये जो बिंदु निर्धारित किये गये हैं, पी0जी0 में नामांकन हो, इसपर भी कमिटी विचार करेगी ?

श्री ...तल राम (राज्यमंत्री ...) ... कहा है ... उत्तर में, माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाया गया, पी0जी0 में नामांकन नहीं होगा, इसके विरोध में होगा या नहीं, इसके लिये सरकार ने कमिटी गठित की है और पी0जी0 में नामांकन के संदर्भ में ही कमिटी ... निर्णय देगी । उसके बाद सरकार निर्णय अपने स्तर से लेगी ।

श्री ...न्द्र प्र0 सिंह : महोदय, कमिटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद सरकार का निर्णय होगा । यह प्रक्रिया कबतक पूरी कर ली जायेगी ? समय ... सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री ...तल राम (राज्यमंत्री): ... आने के बाद जल्द ही किया जायेगा ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्र0 यादव): ... तीन-चार बातों को आपने स्वीकारा है । अल्पसंख्यक कॉलेज भी है आपने स्वीकारा है कि मेडिकल एसोसियेशन से अस्थायी मान्यता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समय-समय पर परीक्षा भी हुई है लेकिन आपने यह कहा कि राज्य को मान्यता प्राप्त नहीं है । अल्पसंख्यक कॉलेज है, उच्चस्तरीय कमिटी बनायी गयी है पी0जी0 में ऐडमिशन के लिये, क्या निर्धारित है, सरकार क्या निर्णय लेगी, ... अपना प्रतिवेदन देकर ... इन कार्रवाईयों को पूरा करेगी सरकार ?

श्री ...तल राम (राज्यमंत्री): जितनी जल्द हो सकेगा । कमिटी का आ जायेगा प्रतिवेदन, हम करेंगे ।

सभापति (श्री विजेन्द्र प्र0 यादव): कितने समय में कर देंगे ?

श्री ...तल राम (राज्यमंत्री): ... । जितनी जल्द होगा । समिति की रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद हम करेंगे ।

(व्यवधान)

समय सीमा इसमें हम दे रहे हैं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, अल्पसंख्यक से संबंधित महाविद्यालय है । इसपर थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार क. निर्णय लेंगे ?

सभापति (श्री विजेन्द्र प्र0 यादव) : माननीय मंत्री, इस सत्र के भीतर यह निर्णय कर सकने में आप सक्षम होंगे ताकि छात्र शामिल हो सकें ?

श्री शीतल राम (राज्यमंत्री) : कोशिश करेंगे सर ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री विजेन्द्र प्र0 यादव) : इस सत्र के भीतर सरकार प्रयास करेगी ।

(व्यवधान)

वे बता नहीं पा रहे हैं । इस सत्र के भीतर करवा दीजिये इसको ।

श्री श्रवण कुमार : सरकार असहाय है हुजूर ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह : / आसन से संरक्षण चाहते हैं महोदय ।

श्री शीतल राम (राज्यमंत्री) : प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

टर्न-66/राजेश/29.7.2003

सभापति[श्री विजेन्द्र प्र0यादव]:- अब हो गया, इस शैक्षणिक सत्र के भीतर वे निर्णय करेंगे ।

श्री उदय नारायण चौधरी:- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को न बताना चाहिए ।

श्री शीतल राम[राज्यमंत्री]:- हम कहते हैं, माननीय सभापति जी ने जो कहा है, उसके आलोक में हम कार्रवाई करेंगे ।

सभापति[श्री विजेन्द्र प्र0 यादव]:- ठीक है ।

सर्वश्री प्रह्लाद यादव, मुनीलाल यादव एवं अन्य पाँच सभासदों को ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार[गृह[आरक्षी] विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

---

सभापति[श्री विजेन्द्र प्र0यादव]:- यह पढ़ा हुआ है, माननीय मंत्री इसका जवाब दीजिये ।

श्री प्रह्लाद यादव:- सभापति महोदय, इसमें जो तिथि 21.6.02 छप गया है, जबकि यह तिथि होगा 21.9.2002

सभापति[श्री विजेन्द्र प्र0यादव]:- ठीक है । माननीय मंत्री ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा[मंत्री]:- महोदय, आरक्षी मुख्यालय, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त आरक्षी अधीक्षक, लखीसराय के प्रतिवेदनानुसार सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या-250/2001, दिनांक 21.9.2002 धारा-302/120 बी/34/भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स ऐक्ट मृतक युगल बिन्द के बयान पर प्राथमिकी के सात नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज कराया गया था । इस कांड में युगल बिन्द, मुखिया, किसुनपुर पंचायत की हत्या कर दी गयी थी । अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि इस कांड के वादी कैलाश बिन्द घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे और मृतक मुखिया के साथ मात्र एक मेदनी यादव नाम का व्यक्ति जा रहा था । मेदनीयादव ने इस कांड में किसी भी व्यक्ति को पहचानने की बात कहीं नहीं है । मेदनी यादव का बयान दंडाधिकारी के सामने कराया जा चुका है । अनुसंधान के क्रम में यह प्रमाणित हुआ कि कांड के अभियुक्त विरेन्द्र सिंह एवं माननीय विधायक से मारपीट से संबंधित मुकदमा न्यायालय में चल रहा है । इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन कांड सत्य धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स ऐक्ट दोषारोपण असत्य समर्पित करने का आदेश दिया गया ।

लखीसराय थाना कांड सं0-156/2002 दिनांक 12.6.2002 धारा-147/323/307/448/374 भा0द0वि0वादी बिरजू मांझी के बयान पर अंकित कराया गया था । इस कांड में आरोप-पत्र धारा 304/34/भा0द0वि0 विरूद्ध विरूद्ध द्वारिका सिंह, धारा-302/201/34/भा0द0वि0पप्पू यादव बनाम